संख्या-24/2020/2715/58-1-2020-2/1(116)17टीसी-सी

प्रेषक,

एस0 राधा चौहान,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **समस्त मण्डलायुक्त,**
   उत्तर प्रदेश ।
2. **समस्त जिलाधिकारी,**
   उत्तर प्रदेश ।

बाल विकास एवं पुष्टाहार अनुभाग लखनऊ :: दिनांक 16 अक्टूबर, 2020

विषय: प्रदेश की बाल विकास परियोजनाओं में संचालित आंगनबाड़ी/मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों पर अनुपूरक पुष्टाहार की आपूर्ति एवं वितरण के सम्बन्ध में ।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि संलग्न शासनादेश संख्या-**19/2020/2591/58-1-2020-2/1(116)17टीसी-सी,** दिनांक 01 अक्टूबर, 2020 द्वारा लिये गये निर्णय से पूरे राज्य में एकीकृत बाल विकास सेवायें के अन्तर्गत पुष्टाहार योजना से सम्बन्धित समस्त व्यवस्था वृहद परिवर्तन की ओर बढ़ी है । लगभग 30 साल से अधिक समय तक संचालित उत्पादन व आपूर्ति की व्यवस्था को पूर्णतया परिवर्तित करते हुये इस कार्य को स्थानीय महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से किया जाना, न केवल स्थानीय सहभागिता को बढ़ावा देगा, बल्कि गर्भवती/धात्री महिलाओं, 11 से 14 वर्ष की स्कूल न जाने वाली किशोरी बालिकाओं एवं बच्चों को गुणवत्तायुक्त पोषण स्थानीय परिवेश में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा ।

2- प्रदेश की बाल विकास परियोजनाओं में संचालित आंगनबाड़ी/मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों पर अनुपूरक पुष्टाहार की आपूर्ति अब स्वयं सहायता समूहों के द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकत्री/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्री के माध्यम से ही की जायेगी । चयनित स्थानीय महिला स्वयं सहायता समूह के स्वरोजगार के साथ-साथ स्थानीय महिलाओं का भी सशक्तीकरण होगा । माताओं तथा स्थानीय महिलाओं की भूमिका इस व्यवस्था की सफलता में महत्वपूर्ण कड़ी बनेगी । स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से पूरे प्रदेश में उत्पादन हेतु वांछित अवस्थापना विकसित करने का कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है ।

3- **दिनांक 25 नवम्बर, 2020** को लाभार्थियों को इस विकेन्द्रीकृत व्यवस्था के माध्यम से प्रथम बार पूरे प्रदेश में भारत सरकार के मानकों के अनुरूप पुष्टाहार वितरित किया जाना प्रस्तावित है। इस पूरी व्यवस्था को सुचारु रूप से क्रियान्वित करने, स्थानीय स्टेकहोल्डर्स को अपनी भूमिका को सही ढंग से निष्पादित कराने तथा पूर्णतया पारदर्शी पुष्टाहार वितरण की प्रणाली को मूर्तरूप देने आदि में जिलाधिकारी की महत्वपूर्ण अहम भूमिका होगी । इस सम्बन्ध में विस्तृत **SOP** पृथक से निर्गत की जा रही है । इस पर उल्लिखित बिन्दुओं पर कार्यवाही समय से किया जाना आवश्यक है ।

4- आप अवगत ही हैं कि जनपदों में विभिन्न स्तरों पर निगरानी समितियां जैसे-ग्राम निगरानी समिति, ब्लाक निगरानी समिति तथा जिला निगरानी समिति का पूर्व से ही प्रावधान है । कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि सभी समितियों का गठन कर लिया गया है तथा वे अपने दायित्वों के प्रति पूर्णत: सजग हैं । आपसे अनुरोध है कि ससमय समस्त व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा कर लें तथा यदि व्यवस्था को और सशक्त एवं सुचारू रूप से क्रियान्वित करने हेतु यदि कोई सुझाव हों, तो ऐसे सुझाव तत्काल निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ की ई-मेल आई0डी0- icdsuplko@gmail.com पर उपलब्ध कराये जायँ ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5- यहां यह भी संज्ञान में लाना है कि विभाग द्वारा न्यूट्री गार्डन (पोषण वाटिका) की स्थापना को वरीयता दी जा रही है, जिसका उद्देश्य सामुदायिक स्थानों के साथ-साथ प्रत्येक घर में फल, सब्जियां एवं औषधीय पौधे लगाने हेतु जन सामान्य को प्रोत्साहित करना तथा उनसे होने वाले लाभों के सम्बन्ध में जागरूकता फैलाना है । पोषण वाटिका आई0सी0डी0एस0 व शिक्षा विभाग के संयुक्त प्रयास से बनायी जायेगी, जिससे स्कूल/आंगनबाड़ी केन्द्र पर पढ़ने वाले बच्चों को ताजी सब्जियों व फल के माध्यम से पौष्टिक गर्म पका हुआ आहार उपलब्ध कराना सुनिश्चित हो सकेगा । अत: उक्त का भी समुचित प्रचार-प्रसार कराया जाय ।

6- चूंकि लम्बे समय से चली आ रही व्यवस्था में परिवर्तन किया गया है, अत: इस नवीन व्यवस्था को जन सामान्य एवं मा0 जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाने हेतु वृहद प्रचार-प्रसार किये जाने की अत्यन्त आवश्यकता है । सम्पर्क, संवाद एवं सहभागिता से ही व्यवस्था का पारदर्शी संचालन सम्भव है ।

7- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त के क्रम में अपने स्तर पर समस्त तैयारियों की गहन समीक्षा व वांछित कार्यवाही करने का कष्ट करें, जिससे नवीन व्यवस्था सुचारु रूप से संचालित हो सके ।

संलग्नक : यथोपरि ।

भवदीया,

(एस0 राधा चौहान)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-24/2020/2715/58-1-2020, तद्दिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
2. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (SRLM), उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
4. निदेशक, राज्य पोषण मिशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी/प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
6. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(गरिमा यादव)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-19/2020/2591 /58-1-2020-2/1(116)17टीसी-सी

प्रेषक,

एस0 राधा चौहान,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

बाल विकास एवं पुष्टाहार अनुभाग लखनऊ :: दिनांक 01 अक्टूबर, 2020

विषय: प्रदेश की बाल विकास परियोजनाओं में संचालित आंगनबाड़ी/मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों पर अनुपूरक पुष्टाहार की आपूर्ति हेतु ई-निविदा समिति की संस्तुतियों पर कार्यवाही के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-362/बा0वि0परि0/पोषण एवं स्वास्थ्य/2020-21, दिनांक 16.09.2020 एवं पत्र संख्या-373/बा0वि0परि0/पोषण एवं स्वास्थ्य/2020-21, दिनांक 17.09.2020 द्वारा प्रदेश की बाल विकास परियोजनाओं में संचालित आंगनबाड़ी/मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों पर अनुपूरक पुष्टाहार की आपूर्ति हेतु ई-निविदा की संस्तुतियों पर शासन का मार्गदर्शन मांगा गया है, का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि CIVIL APPEAL NO(S). 2336 OF 2019 (ARISING FROM SLP(C) NOS.10103 OF 2016 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26 फरवरी, 2019 का प्रभावी अंश निम्नवत् है :-

> **"…fixing of unit area as a district, several players have been effectively ousted from the field, it would be appropriate to form groups of smaller area such as panchayat or group of panchayats etc. within the district so that the real intention behind the policy is fulfilled in its real sense and supply should be decentralised as much as possible as it is not for the big players/industrialists in the field to cater to the needs of the schemes they have usurped in the past."**

मा0 सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्देशों के क्रम में 18 जनपदों में राज्य आजीविका मिशन के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूहों से पुष्टाहार उत्पादन व वितरण का पूर्व में ही निर्णय लिया जा चुका है, जिसके क्रम में मिशन निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के पत्रांक-1569/1852/**THR/2020-21**, दिनांक 11 सितम्बर, 2020 द्वारा अवगत कराया गया है कि 18 जनपदों में महिला समूहों के माध्यम से पुष्टाहार उत्पादन इकाई स्थापित किये जाने के क्रम में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम से तकनीकी सहयोग प्राप्त करते हुए कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। इस प्रकार पूरे प्रदेश में उत्पादन हेतु वांछित अवस्थापना को विकसित करने में लगभग 02 वर्ष का समय लग सकता है। इस अंतराल में पुष्टाहार की सेवाओं को निर्विघ्न बनाये रखना आवश्यक है। अत: मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के क्रम में तथा वर्तमान में उत्पन्न परिस्थितियों में कुछ अन्य प्रदेशों की भांति टेक होम राशन को **Dry Ration** के रूप में पुष्टाहार हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप आंगनबाड़ी केन्द्रों में समस्त श्रेणी के लाभार्थियों को वितरित किये जाने का निर्णय लिया गया है। अत: 18 जनपदों की भॉति ही शेष 57 जनपदों में भी राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से संचालित स्वयं सहायता समूह (**SHG**) से अनुपूरक पोषाहार की आपूर्ति कराया जाना उपयुक्त पाया गया।

3- राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा विकास खण्ड स्तर पर पुष्टाहार उत्पादन की अवस्थापना विकास होने तक मुख्य सामग्री यथा-गेहूं, चावल आदि भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से तथा देशी घी व स्किम्ड मिल्क पाउडर (वसा रहित दुग्ध चूर्ण)'प्रादेशिक कॉपरेटिव डेयरी फेडरेशन लि0' (**PCDF**) से निर्धारित मानकों के अनुसार महिला सहायता समूहों को स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराया जायेगा। समूहों द्वारा दालों का यथावश्यक स्थानीय क्रय कर निर्धारित मात्रा में वजन व पैकेजिंग उपयुक्त रूप से सुनिश्चित करते हुये

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

आंगनबाड़ियों में विभिन्न श्रेणी के लाभार्थियों को निर्धारित मात्रा में प्रत्येक माह में उपलब्ध कराया जायेगा। इस हेतु निम्नवत् कार्यवाही अपेक्षित होगी:-

(1) भारत सरकार से अपनी योजनाओं हेतु वांछित गेहूं एवं चावल की मात्रा का मासिक आवंटन जारी कराया जाना होगा, जिसका उठान भारतीय खाद्य निगम के निर्धारित डिपो से ही किया जा सकेगा।

(2) भारतीय खाद्य निगम से उठान कर उचित दर पर दुकान तक गेहूं/चावल उपलब्ध कराने के कार्य में नियुक्त ठेकेदारों को, हैण्डलिंग एवं परिवहन कार्य में उनकी स्वीकृत दरों पर आने वाले वास्तविक व्यय का भुगतान करना होगा।

(3) उचित दर विक्रेताओं को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत अनुमन्य रू0 70/- प्रति कुं0 के लाभांश का भुगतान करना होगा।

4- उपर्युक्त समस्त कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु अन्तर्विभागीय समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें ग्राम्य विकास, खाद्य एवं रसद विभाग, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग तथा दुग्ध विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव व विभाग से संबंधित निदेशक/प्रबन्ध निदेशक नामित रहेंगे एवं निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उक्त समिति के संयोजक रहेंगे। उक्त समिति द्वारा दायित्व का निर्धारण, पोषाहार की गुणवत्ता, पोषाहार आपूर्ति की समय-सीमा तथा पोषाहार वितरण का कैलेण्डर निर्धारित किया जायेगा। समिति द्वारा योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रक्रिया (**SOP**) का निर्धारण भी किया जायेगा। पोषाहार की उपर्युक्तानुसार आपूर्ति भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अन्तर्गत की जायेगी। इसके अतिरिक्त भारत सरकार से गेहूं एवं चावल का आवंटन, भारतीय खाद्य निगम से उठान, हैण्डलिंग एवं परिवहन तथा उचित दर विक्रेताओं को अनुमन्य लाभांश की कार्यवाही तथा अन्य प्रक्रिया के सम्बन्ध में भी **SOP** निर्धारित करने की कार्यवाही भी उपर्युक्त समिति द्वारा की जायेगी। खाद्यान्न आपूर्ति के उपरान्त स्वयं सहायता समूहों को नियमानुसार भुगतान एवं समय प्रदान करने आदि के सम्बंध में बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार तथा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के मध्य एम0ओ0यू0 का निष्पादन कर प्रक्रिया निर्धारित की जायेगी।

कृपया तद्नुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

एस0 राधा चौहान
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-19/2020/2591/58-1-2020, तद्दिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख सचिव, दुग्ध विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. आयुक्त, खाद्य एवं रसद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, प्रादेशिक कॉपरेटिव डेयरी फेडरेशन लि0 (**PCDF**), लखनऊ।
7. मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी/प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(गरिमा यादव)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in